पीएम स्वनिधि योजना की अवधि बढ़ाई गई

प्रिलिम्स के लिये:

पीएम स्वनिधि योजना, स्वनिधि से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत अभियान, आर्थिक प्रोत्साहन-II

मेन्स के लिये:

सूक्ष्म वित्त, इसका महत्त्व और संबंधित पहल।

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना **की अवधि को** मार्च, 2022 से आगे बढ़ाया गया है।

विस्तारित योजना के लिये प्रावधान:

- दिसंबर 2024 तक **ऋण अवधि का विस्तार।**
- क्रमशः ₹10,000 और ₹20,000 के पहले और दूसरे ऋण के अलावा **₹50,000 तक के तीसरे ऋण की शुरुआत।**
- देश भर में **पीएम स्वनिधि योजना** के सभी लाभार्थियों के लिये **'स्वनिधि से समृद्धि'** घटक का विस्तार।
  - स्वनिधि से समृद्धि' को जनवरी, 2021 में 'पीएम स्वनिधि' लाभार्थियों और उनके परिवारों के सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल को चिह्नित करने हेतु लॉन्च किया गया था।

पीएम स्वनिधि योजना:

- **परिचय:**
  - प्रधानमंत्री **स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि** (पीएम स्वनिधि) को **आत्मनिर्भर भारत अभियान** के तहत **आर्थिक प्रोत्साहन-II** के एक हिस्से के रूप में घोषित किया गया था।
  - इसे **1 जून, 2020** से लागू किया गया था, ताकि **उन स्ट्रीट वेंडरों को उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिये किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जा सके,** जो **कोविड-19** लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।
    - अब तक कुल **13,403 वेंडिंग ज़ोन की पहचान की जा चुकी है।**
    - **दिसंबर, 2024 तक 42 लाख स्ट्रीट वेंडर्स** को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाना है।
- **वित्तपोषण:**
  - यह एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना है** अर्थात यह **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित योजना है,** इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :
    - **कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना**
    - **नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना तथा**
    - **डिजिटल लेनदेन हेतु पुरस्कृत करना**
- **महत्त्व:**
  - **यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिये आर्थिक विकास के नए अवसर प्रदान करेगी।**
- **पात्रता:**
  - **राज्य और केंद्र शासित प्रदेश:**
    - यह योजना **केवल उन्हीं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिये उपलब्ध है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजना अधिसूचित की है।**
      - **हालाँकि मेघालय के लाभार्थी जिसका अपना स्टेट स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, भाग ले सकता है।**
- **स्ट्रीट वेंडर्स:**

- ◦ यह योजना शहरी क्षेत्रों में **वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स (पथ में वस्तु और सेवा के विक्रेताओं) के लिये उपलब्ध है।**
    - इससे पहले यह योजना **24 मार्च, 2020 को या उससे पहले वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिये उपलब्ध थी।**

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ):

प्रश्न: क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुश्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) प्रदान करके तोड़ा जा सकता है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिये। **(मुख्य परीक्षा, 2021)**

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pm-svanidhi-scheme-extended